

कार्यालय अधिशाषी अभियंता  
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
विद्युत वितरण खण्ड -चतुर्थ बांगरमऊ उन्नाव

योजना का नाम :- जमा  
नलकूप /

पत्रांक - / वि0वि0ख0च0बा0उ0/टि0105 (टी0सी0) दिनांक -  
विषय : नलकूप/स्वयं के लिए 08 अश्वशक्ति /किलोवाट तथा पंखा बत्ती हेतु  
वाट के स्वीकृत विद्युत भार सं0 2502 दिनांक 01.09.2023 के प्राप्त के सम्बन्ध में

श्री: राकेश कुमार आत्मज : श्री रामलाल

ग्राम बल्लापुर पोस्ट आफिस गंजमुरादाबाद विकास खण्ड गंजमुरादाबाद जिला उन्नाव

महोदय

आपके स्वीकृत भार सं0 उपरोक्त के अन्तर्गत उपरोक्त अश्वशक्ति /किलोवाट के लिए रु  
84080.00 का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है। कनेक्शन देने में 10 मीटर लम्बी एल0 टी0  
लाइन तथा वर्तमान स्टेशन) क्षमता केवीए0 से बढ़कर केवीए0 करने  
की आवश्यकता पड़ेगी 25 केवीए0का नया सब स्टेशन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी।

अतः विद्युत शक्ति पाने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों सहित प्रस्ताव किया जाता है।

1 सर्विस कनेक्शन शुल्क	रु	84080.00
2 फिक्सड चार्ज	रु	5000.00
3 प्रतिभूति के रूप में(नलकूप/औद्योगिक/वाणिज्यिक/पंखा/बत्ती)	रु	2400.00
4 सिस्टम लोडिंग चार्जेज	रु	
5 निधारित सीमा से अधिक लाइन बनाने का खर्चा	रु	
6 अन्य देय(जी0एस0टी0@18%)	रु	
योग		91480.00

- 7 इस धनराशि के अतिरिक्त मोटर निरीक्षण शुल्क शासकीय कोष में 0943 बिजली पर कर और शुल्क ख 00102 भारतीय बिजली नियमावली अन्तर्गत जमा कर दें।
- 8 आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित 33के0वी0..... से अपने वाहन द्वारा सामान की दुलाई साथ परिषद का एक चतुर श्रमिक(Skill Labour)जायेगा तथा शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर देगा।
- 9 आप अपना पावर हाउस बनाने के लिए आवश्यक मात्रा अपनी ईट बालू तथा सीमेंट का प्रबन्ध करना पडता है।अतःउसी में से उपर्युक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्राअपनी लाइन व कनेक्शन हेतु देय।
- 10 कनेक्शन हेतु लाइन व स्टेशन से जो मजदूरी की आवश्यकता पड़ेगी उसको आपको प्रबन्ध करना पड़ेगा।